रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल, भोपाल बेन्च

श्री आलोक कुमार शुक्ल, माननीय सदस्य (तकनीकी) रे.दा.अ./भोपाल

दावा आवेदन क्रमांक : OA-IIu/BPL/153/2019
दावा पंजीकरण तिथि : 06-06-2019
आदेशार्थ रखने की तिथि : 24th November, 2023
आदेश तिथि : 28th November, 2023

1) श्रीमती गुड़िया देवी पत्नी स्व. श्री राजन चौधरी
2) मन्नू कुमार पुत्र स्व. श्री राजन चौधरी
3) निशा कुमारी पुत्री स्व. श्री राजन चौधरी
4) निराम कुमारी पुत्री स्व. श्री राजन चौधरी
5) दिनेश चौधरी पुत्र स्व. सोनेलाल चौधरी
6) श्रीमती फुलदेवी पत्नी श्री दिनेश चौधरी
(आवेदक क्रमांक–2 से लेकर 4 तक अवयस्क होने से नैसर्गिक संरक्षिका के तौर पर माता होने से आवेदक–1 द्वारा)
निवासी–ग्राम हरदिया, पोस्ट–बलवा बाजार,
जिला–खगड़िया (बिहार) पिनकोड–851 220

——आवेदक

विरुद्ध

भारत संघ,
द्वारा–महाप्रबंधक,
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर (म0प्र0)

——रेस्पाडेन्ट

दावा राशि : Rs. 8,00,000/-

प्रतिनिधित्व : श्री आर.एल.बरोनिया/श्रीमती मीना गुप्ता, आवेदक–अधिवक्ता,
श्री ओमशंकर श्रीवास्तव, रेस्पाडेन्ट–अधिवक्ता

:: नि र्ण य ::

1. आवेदकों ने अपने पति/पिता/पुत्र मृतक राजन चौधरी पुत्र श्री दिनेश चौधरी के अनपेक्षित घटना में मृत्यु होने के फलस्वरूप रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 की सेक्शन–16 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में रुपये आठ लाख प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत इस आवेदन एवं शपथ पत्र के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि 23 वर्षीय मृतक मजदूरी का कार्य करता था तथा वह काम के सिलसिले में मुम्बई जा रहा था जिसके लिए उसने सेकण्ड क्लास जनरल टिकट संख्या–00912357 लेकर दिनांक 19-06-2018 को पाटलीपुत्र एक्सप्रेस से पाटलीपुत्र से लोकमान्य तिलक तक की यात्रा जनरल कोच में करते समय दिनांक 19 एवं 20 की रात्रि में मेढ़ापाट–पिटोनी स्टेशनों के बीच किलोमीटर संख्या–872/5–6 पर दुर्घटनापूर्वक चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और गिरने से आई गंभीर चोटों से उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृतक को उसके भाई–चमकन चौधरी ने स्टेशन पर छोड़ा था और यात्रा का टिकट खरीदकर दिया था जो

निरंतर——2/पर

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

कि मृतक ने अपने लगेज में रख लिया था तथा गाड़ी में अत्यधिक भीड़ थी. साथ में सहयात्री—नरेश चौधरी भी यात्रा कर रहा था किन्तु गाड़ी में अत्यधिक भीड़ होने के कारण मृतक एवं यह सहयात्री अलग—अलग कोच में सवार हो गये थे. एक्सप्रेस की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुँची और कार्यवाही के दौरान मृतक के पास से मिले फोन से पुलिस ने घरवालों को इसकी सूचना दी जिस पर भाई—बनवारी चौधरी एवं पिता जबलपुर के मेडिकल कॉलेज पहुँचे और मृतक की पहचान की. यह अभिवचन किया गया है कि मृतक के ट्रेन से गिरने की सूचना पुलिस से प्राप्त होने पर इसकी सूचना देते हुए मृतक के भाई द्वारा सहयात्री—नरेश चौधरी को मृतक के सामान को गाड़ी से उतार लेने का कहा जिस पर सहयात्री द्वारा मृतक का लगेज उतार लिया गया और बाद में मृतक के भाई को यह लगेज सौंप दिया गया, जिसे देखने पर मृतक का यात्रा का टिकट इसमें पाया गया, जिसे मूल रूप से दावे के साथ पेश किया गया है. अतः बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटुवर्ड इंसीडेन्ट के अधीन मृतक पति/पिता/पुत्र की मृत्यु हो जाने से पत्नी, संतान एवं माता—पिता के तौर पर आवेदक ही आश्रित होने से रेस्पांडेन्ट रेलवे से प्रतिपूर्ति के तौर पर प्रतिकर राशि प्राप्त करने के हकदार होने से यह दावा आवेदन पेश किया गया है.

2. रेस्पांडेन्ट ने जवाबदावे में सभी तथ्यों से इनकार करते हुए मृतक के यात्रा करना एवं गिरने पर संदेह व्यक्त करते हुए जो टिकट पेश किया गया है, उसे भी कूटरचित माना है क्योंकि मृतक के भाई और पिता द्वारा पुलिस को दिनांक 21—05—2018 को दिये गये कथन में टिकट खरीदकर दिये जाने एवं सामान नरेश को दिये जाने का कोई नहीं बताया है तथा यह तथ्य भी इनकी ओर से भेड़ाघाट पुलिस को नहीं बताये है, साथ ही टिकट भी नियमानुसार जब्त नहीं करवाया गया है, साथ ही कथित सहयात्री का टिकट जब्त नहीं होना भारी संदेह पैदा कर रहा है एवं यह सहयात्री कथित तौर पर रचित किया गया है. माननीय सुप्रीमकोर्ट ने कमलनिशा वि० भारतसंघ (2017 (4) टीएससी) तथा माननीय पटना हाईकोर्ट द्वारा विविध अपील क्रमांक—940/2011 मधुशाह वि० भारतसंघ में दिनांक 01—06—2012 में दिये गये निर्णयों में यह अवधारित किया गया है कि मृतक से कोई टिकट जब्त नहीं होने से उसे बोनाफाइड पैसेन्जर नहीं कहा जा सकता. नहीं वैधानिक तरीके से की गई अपनी जाँच रिपोर्ट, जिसे डीआरएम रिपोर्ट कहा गया है, में भी मृतक के पास मोबाइल के अलावा अन्य कोई वस्तु प्राप्त नहीं होना तथा मृतक को किसी के द्वारा सवारी गाड़ी से गिरते हुए नहीं देखा गया है, अतः यह घटना न तो अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की है एवं न ही तत्समय वह बोनाफाइड पैसेन्जर था. इस प्रकार घटना बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की न होकर इसके बाहर की होने से मुआवजा देने के अपने उत्तरदायित्व से इनकार किया है एवं दावा आवेदन को व्यय सहित खारिज किये जाने की प्रार्थना रेस्पांडेन्ट द्वारा की गई है.

3. पक्षकारों के अभिवचनों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित इश्यूज की रचना की गई :—

रेल दावा अधिकरण
प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

1) *Whether the deceased was a bonafide passenger of the Train in question at the time of occurrence of the alleged untoward incident ?*

2) *Whether the death of the deceased caused due to the said alleged untoward incident as defined under Sec. 123 (c) (2) read with Sec. 124 A of Railways Act, 1989 ?*

3) *Whether the Respondent railway Administration is protected under the Section 124-A of the Railways Act, 1989 and is not liable to pay any compensation to the applicants ?*

4) *Whether the applicants is the legal dependents of the deceased to claim/receive the compensation, if any, granted ? Who else are the dependents ?*

5) *Relief and cost ?*

4. आवेदकों की ओर से क्रमांक–1 ने अपने शपथपत्र *(AW/1)* के साथ स्टेशन पर छोड़ने वाले साक्षी के तौर पर मृतक के भाई–प्रभात चौधरी *(AW/2)* एवं मृतक के साथ यात्रा करने वाले यात्री–गणेश चौधरी *(AW/3)* के भी शपथपत्र के साथ–साथ लिखित साक्ष्य के रूप में *A-1* से *A-30* तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वहीं रेस्पाडेन्ट की ओर से लिखित साक्ष्य के तौर पर डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* को विस्तृत रूप से पेश करते हुए उसकी ओर से जाँच करने वाले अधिकारी अनामिका मिश्र पत्नी श्री सुनील द्विवेदी, पीएस सेल, अधीन सीनि0 डीएससी कार्यालय, आरपीएफ / जबलपुर को भी शपथपत्र *(RW/1)* के साथ उपस्थित कराया गया है. आवेदक व रेस्पाडेन्ट के साक्षियों का प्रति–परीक्षण कोर्ट के सम्मुख किया गया.

5. तदनुसार दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई तर्कसंगत बहस को बड़े ध्यान से सुनकर और अभिवचनों, प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर के, उक्त इश्यूज पर मेरा निष्कर्ष इस प्रकार है :–

:: निष्कर्ष ::

<u>इश्यूज क्रमांक–1 एवं 2</u> :

6. विवरण में तारतम्यता स्थापित करने हेतु इन दोनों इश्यूज पर एक साथ विचार किया जा रहा है. मैंने द्वारा दोनों विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा अपने–अपने समर्थन में पेश की बहस को बड़े ध्यान से सुना एवं पत्रावलि पर उपलब्ध लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों एवं उपस्थित मौखिक साक्ष्यों का गहराई से परिशीलन किया. रेस्पाडेन्ट ने अपने जवाबदावे एवं रेल यात्री (रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अनटूवर्ड इन्सीडेन्ट) नियम 2003 के अधीन प्रस्तुत की गई वैधानिक तरीके से की गई जाँच रिपोर्ट जिसे संक्षिप्त में डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* कहा गया है, में मृतक के भाई एवं पिता द्वारा पुलिस को दिनांक 21–05–2018 को दिये गये अपने कथनों में टिकट खरीदने एवं

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

साक्षी–AW/3 को सूचना देकर सामान उतार लेने एवं इस साक्षी द्वारा मृतक का लगेज एवं टिकट लेने का तथ्य नही बताया है, जबकि इन दोनों के कथनों (ए–8 एवं 9) का अवलोकन करने पर मृतक के मुम्बई ट्रेन से जाने एवं साक्षी–AW/2 के द्वारा उसे स्टेशन पर छोड़ने जाने का तथ्य अंकित है एवं साक्षी–AW/2 के द्वारा भी अपने कथन में टिकट खरीदकर ट्रेन में बैठाने तथा एक बैग जिसमें मृतक का सामान था, देने का अंकन है. साक्षी–AW/3 के द्वारा अपने प्रति–परीक्षण में यह बताया गया है कि बमबम से सूचना प्राप्त होने पर उसने मृतक का सामान अपने पास रख लिया था एवं एक–डेढ़ माह बाद जब वह वापिस घर गया तब उसने वह सामान दिया था. इस प्रकार साक्षी–AW/1 के द्वारा सशपथ साक्षी–AW/2 के द्वारा मृतक पति को स्टेशन पर छोड़ना प्रमाणित होता है. वही साक्षी–AW/2 के द्वारा घटना के तुरन्त बाद दिये गये अपने कथन में टिकट खरीदकर पटना में ट्रेन में बैठाया जाना प्रमाणित हो रहा है. वही साक्षी–AW/3 की साक्ष्य को रेस्पांडेन्ट की ओर से विपरीत दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य से खण्डित भी नहीं किया गया है. इस साक्षी का कथन कि मृतक का टिकट मृतक के लगेज में था एवं उसका टिकट उसने गंतव्य स्टेशन पर बाहर निकलते समय गेट पर दे दिया था, को भी रेस्पांडेन्ट की ओर से विपरीत साक्ष्य से साबित नही किया जा पाया है, जिससे कोर्ट के सम्मुख सशपथ दिये गये कथन पर संदेह किया जा सके. सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रेस्पांडेन्ट की जांचकर्ता अधिकारी जो कि साक्षी–RW/1 के तौर पर कोर्ट के सम्मुख उपस्थित हुई है, ने भी अपने प्रति–परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसकी रिपोर्ट (दिनांक 18–10–2019, आर–3/5) में मृतक के मजदूरी हेतु मुम्बई जाने एवं दरवाजे के पास लापरवाहीपूर्वक असुरक्षित तरीके से यात्रा करने के दौरान गिरने से मृत्यु होना पाई गई है. इस प्रकार यह स्थापित है कि मृतक घटना के समय पटना से मुम्बई की यात्रा कर रहा था. अतः जब वह अपनी कुल यात्रा का लगभग आधा हिस्सा यात्रा में पूरा कर चुका था तो रेस्पांडेन्ट का यह तर्क बिना किसी साक्ष्य के विधि सम्मत स्वीकार्य नहीं है कि मृतक बिना टिकट यात्रा कर रहा था, क्योंकि माननीय एमपी हाईकोर्ट द्वारा अपने प्रकरण *Misc. Appeal No. 1202 of 2017, decided on 30-01-2023 (Sudhi Batham and another vs. UoI* के पैरा–6 में यही प्रतिपादित किया गया है कि .... *Ticket checkers also travel in the train for the purpose of checking tickets. It is not the case of the respondent that the ticket checker had found the deceased travelling without the valit ticket. No person can enter inside the platform in absence of either travelling ticket or platform ticket*.......साथ ही माननीय सुप्रीमकोर्ट के भारत संघ वि० रीना देवी प्रकरण के पैरा क्रमांक– 17.1 के द्वारा भी आवेदकों की ओर से टिकट पेश करने के साथ–साथ टिकट खरीदने के साक्षी के तौर पर साक्षी–AW/2 को भी कोर्ट के सम्मुख उपस्थित कराकर घटना के समय मृतक के बोनाफाइड पैसेन्जर होने के अपने दायित्व को पूरा कर दिया है, जिसे रेस्पांडेन्ट की ओर से किसी भी विपरीत साक्ष्य से खण्डित नही किया जा सका है. अतः मैं यही अवधारित करता हूँ कि मृतक ए–1 पर पेश किये गये टिकट के आधार पर घटना के समय बोनाफाइड पैसेन्जर के तौर पर ही ट्रेन से यात्रा कर रहा था.

Sd/-

निरंतर........3/भ

सहायक पंजी...
रैल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

रेल दावा अधिकरण
प्रमाणित
सत्य प्रतिलिपि
भोपाल पीठ, भोपाल

7. इसप्रकार साक्षी–RW/1 की गवाही से यह प्रमाणित हो रहा है कि मृतक यात्रा के दौरान ही चलती ट्रेन से गिरा है एवं इसका कारण उसका दरवाजे के पास की जा रही यात्रा हो सकता है तो इस सम्बन्ध में दरवाजे के पास बैठकर यात्रा करने की इस प्रकार की लापरवाही को सामान्य लापरवाही मानते हुए माननीय सुप्रीमकोर्ट ने ***Jameela & Ors vs Union Of India*** प्रकरण (**CIVIL APPEAL NO. 1164 OF 2003**) में दिनांक 27 अगस्त, 2010 को पारित न्यायसिद्धान्त में यह भलीभांति प्रतिपादित कर दिया है कि *The manner in which the accident is sought to be reconstructed by the Railway, the deceased was standing at the open door of the train compartment from where he fell down, is called by the railway itself as negligence. Now negligence of this kind which is not very uncommon on Indian trains is not the same thing as a criminal act mentioned in clause (c) to the proviso to section 124 A. A criminal act envisaged under clause (c) must have an element of malicious intent or mens rea. Standing at the open doors of the compartment of a running train may be a negligent act, even a rash act but, without anything else, it is certainly not a criminal act. Thus, the case of the railway must fail even after assuming everything in its favour.* अतः माननीय सुप्रीमकोर्ट के उक्त उल्लेखित न्यायसिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए हम यही अवधारित करते हैं कि मृतक के साथ घटित घटना रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन–123 (C) (2) के अधीन बोनाफाइड पैसेन्जर के तौर पर यात्रा करते समय अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की परिस्थितियों में ही घटित हुई थी, इसलिए इश्यूज क्रमांक–1 एवं 2 का विनिश्चय आवेदकों के ही पक्ष में किया जाता है।

<u>इश्यू क्रमांक–3</u> :

8. घटना को रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन–124 A के अपवादों में होने को पुख्ता सबूतों द्वारा साबित करने में रेस्पाडेन्ट असमर्थ रहा है इसलिए रेस्पांडेन्ट इसी एक्ट के सेक्शन–124 A के अधीन आश्रितों को मुआवजा देने हेतु बंधनकारी है। तदनुसार इश्यूज निर्णीत किया जाता है।

<u>इश्यू क्रमांक–4 एवं 5</u> :

9. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन पर एक साथ विचार किया जा रहा है। मृतक की पत्नी, संतान एवं माता–पिता होने के तौर पर आवेदक ही आश्रित होने से आवेदकों ने यह दावा दाखिल किया है एवं अपने–आप को आश्रित साबित करने के लिए उन की ओर से बुनियादी दस्तावेजों के अलावा मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र तथा आवेदकों के आधारकार्ड तथा बैंक पासबुक *(A-15 to 30)* आदि दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है। इस प्रकार मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से सभी आवेदक रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन–123 (B)(i) & (ii) के अधीन मृतक की पत्नी, संतान एवं माता–पिता के तौर पर आश्रित मान्य किये जाते हैं।

10. चूंकि यह साबित हो गया है कि मृतक के साथ घटित घटना बोनाफाइड पैसेन्जर

Sd/ –

निरंतर....6/पर

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

रेल दावा अधिकरण
प्रमाणित
सत्य प्रतिलिपि
भोपाल पीठ, भोपाल

के साथ घटित होने वाली अनदूचर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना है इसलिए रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम 1990 संशोधित 1997 & 2016 की अनुसूची के भाग–एक के अन्तर्गत आश्रितों को प्रतिकर देने हेतु रेस्पांडेन्ट बाध्य है।

11. माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए निर्धारित आश्रित रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम 1990 संशोधित 1997 & 2016 की अनुसूची के भाग–एक के अधीन निर्धारित रुपये 8,00,000/- की राशि एवं राशि पर घटना दिनांक 20-05-2018 से भुगतान तिथि (इसमें से आवेदक की अनुपस्थिति से बहस सुनवाई में हुए विलंब अवधि यथा दिनांक 28-03-2023 से दिनांक 25-05-2023 तक की अवधि को ब्याज हेतु गणित कुल अवधि में से घटाया जाएगा) तक 09% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज सहित गणित कुल राशि प्रतिकर के रूप में रेस्पांडेन्ट से प्राप्त करने के हकदार हैं, अतः इश्यूज का निर्धारण करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं :–

:: आ दे श ::

12. अतः रेस्पांडेन्ट को आदेश दिये जाते हैं कि वह कुल प्रतिकर राशि रुपये 8,00,000/- में से आश्रितों को निम्नानुसार भुगतान करेगा –

Sl No	Name of the Applicants	Relationship with deceased	Age in years	Amount awarded (Rs.)	In cash (Rs.) (एवं संदेय आनु पातिक ब्याज) #	As Fixed Deposit/ Annuity (Rs.) (एवं संदेय आनु पातिक ब्याज)
1)	Smt. Guriya Devi	पत्नी	25	3,00,000/-	30,000/-	2,70,000/-
2)	Mannu Kumar	पुत्र	05	1,00,000/-	--	1,00,000/-
3)	Nisha Kumari	पुत्री	04*	1,00,000/-	--	1,00,000/-
4)	Nigam Kumari	पुत्री	03	1,00,000/-	--	1,00,000/-
5)	Dinesh Choudhari	पिता	58	1,00,000/-	10,000/-	90,000/-
6)	Smt. Ful Devi	माता	37*	1,00,000/-	10,000/-	90,000/-

* आवेदक क्रमांक–6 अर्थात् मृतक की माता के आधारकार्ड में जन्मवर्ष 1986 दर्शाया है, जबकि मृतक रंजन चौधरी का जन्मवर्ष 1995 है. अतः यह संभव नहीं है कि मां और बेटे में केवल 09 वर्ष का अंतर हो. अतः इस सम्बन्ध में भुगतान के समय आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य है. इसी प्रकार आवेदकों की ओर से ए–26 पर मनीषा कुमारी C/o रंजन चौधरी, जन्मतिथि 10-08-2019 का आधारकार्ड पेश किया गया है, जबकि आवेदक क्रमांक–3 निशा कुमारी है. अतः मनीषा कुमारी एवं निशा कुमारी एक ही है, इस सम्बन्ध में भी आवेदकों को प्रमाण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.

13. रेस्पांडेन्ट उक्त राशि पर घटना दिनांक 20-05-2018 से भुगतान तिथि (इसमें से आवेदक की अनुपस्थिति से बहस सुनवाई में हुए विलंब अवधि यथा दिनांक 28-03-2023 से दिनांक 25-05-2023 तक की अवधि को ब्याज हेतु गणित कुल अवधि में से घटाया जाएगा) तक 09% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का भी संदेय आश्रितों को करेगा.

14. लाभार्थी/लाभार्थियों के उम्र को दृष्टिगत रखते हुए तथा मुआवजा राशि का दुरूपयोग होने से बचाने के लिए इस राशि को निम्नानुसार जमा/निर्गमन किया जाएगा –

Sd/-

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल बैंच, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल बैंच, भोपाल

निरंतर....7/पर

(1) उक्त तालिका के क्रमांक–1 अर्थात मृतक की पत्नी को संदत्त कुल प्रतिकर राशि में से सम्बन्धित लाभार्थी को 10% राशि एवं इस पर आनुपातिक ब्याज सहित राशि को लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिसको वह तत्काल निकाल सकती है, एवं शेष राशि अर्थात रूपये 2,70,000/- को 3,000/- (एवं इस पर आनुपातिक ब्याज) प्रति माह के हिसाब से एक माह से 90 माह की अवधि के लिए आरोही क्रम में फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा. प्रत्येक एफडीआर की परिपक्वता राशि सम्बन्धित लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी.

(2) उक्त तालिका के क्रमांक–2, 3 एवं 4 अर्थात मृतक की संतान चूंकि अवयस्क है इसलिए ब्याज सहित संदत्त कुल प्रतिकर राशि को इनके वयस्क होने तक की अवधि के लिए फिक्स्ड डिपाजिट किया जाएगा जिस पर अर्जित ब्याज इनके लालन–पालन के लिए नैसर्गिक संरक्षिका के तौर पर माता होने से आवेदक क्रमांक–1 द्वारा त्रैमासिक तौर पर आहरित किया जा सकेगा.

उक्त तालिका के क्रमांक–5 एवं 6 अर्थात मृतक के माता–पिता को संदत्त कुल प्रतिकर राशि में से सम्बन्धित लाभार्थी को 10% राशि एवं इस पर आनुपातिक ब्याज सहित राशि को सम्बन्धित लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिसको वह तत्काल निकाल सकते हैं, एवं शेष राशि अर्थात रूपये 90-90 हजार को 2-2 हजार (एवं इस पर आनुपातिक ब्याज) प्रति माह के हिसाब से एक माह से 45 माह की अवधि के लिए आरोही क्रम में फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा. प्रत्येक एफडीआर की परिपक्वता राशि सम्बन्धित लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी.

15. अतः लाभार्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपने निवासस्थान के नजदीक स्थित किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड बैंक के नवीनतम बचतखाते की जानकारी रेस्पाडेन्ट रेलवे के उपयुक्तकर्ता अधिकारी के साथ–साथ इस पीठ की रजिस्ट्री के अपर पंजीयक महोदय के पास भी अतिशीघ्र उपलब्ध करायेगा. रेस्पाडेन्ट रेलवे इस आदेश की प्रति प्राप्ति से 60 दिवसों के भीतर लाभार्थी को आगे दिये गये निर्देशानुसार भुगतान करने के लिए बाध्य होगा.

16. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या–2021/TC-III/2810, dtd 29-09-2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रेस्पाडेन्ट रेलवे जल्दी–से–जल्दी दावा राशि के भुगतान का प्रबंध करेगा, किन्तु इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो रेस्पाडेन्ट आगे की अवधि के लिए भुगतान तिथि तक 12% वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा.

17. भारत सरकार ने 03 जून, 2020 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें रेलवे दुर्घटनाओं और अनपेक्षित दुर्घटनाओं (मुआवजा) संशोधन नियमों, 2020, संशोधित नियम–5 में किये गये संशोधन के अनुसार लाभार्थियों के नवीनतम बचत खातें निम्नलिखित शर्तों के अधीन खोले जाएंगे :–

1) ऐसे खातों में एटीएम/डेबिट कार्ड जारी नहीं किये जाएंगे.
2) इन खातों में चैकबुक भी जारी नहीं की जाएगी.
3) ऐसे खातों में इलेक्ट्रॉनिक सुविधा से राशि स्थानांतरित नहीं की जाएगी.
4) ऐसे खातों में मोबाइल अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी नहीं रहेगी.

18. आवेदक/लाभार्थी यदि नवीनतम बचत खातों का विवरण नहीं देते हैं तो विद्यमान

Sd/-

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

निरंतर ...8/पर

बैंक दावा राशि के भुगतान के वितरण से पहले आवेदक/लाभार्थी के मौजूदा बचत खातों में से चैकबुक को निरस्त कर देगा एवं साथ ही एटीएम/डेबिट कार्ड को भी निरस्त कर देगा। बैंक खाते में दी गई मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को भी बंद कर देगा एवं उपर्युक्त सुविधाओं को बंद करने बाबत् बैंक आवेदक/लाभार्थी के बैंक पासबुक में उचित प्रविष्टि करके अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ सील भी लगाएगा।

19. इन खातों से धन की निकासी केवल 'निकासी फार्म' के द्वारा ही की जाएगी।

20. आवेदक/लाभार्थी अपने निवास के समीप स्थित बचत खाते का विवरण, जिस पर उचित पृष्ठांकन किया गया हो, अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधारकार्ड/पैनकार्ड अथवा अन्य कोई उचित पहचान का दस्तावेज तथा अपने नवीनतम पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ्स एवं नमूने के हस्ताक्षर आदि रजिस्ट्री के पास जमा करेंगे।

21. इस पीठ की अनुमति के बिना आवेदक/लाभार्थी के उक्त बचत खातों का स्थानांतर नहीं किया जा सकेगा।

22. लाभार्थी से प्राप्त उक्त बैंक विवरण से रेस्पाडेन्ट रेलवे स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही इसे अपर पंजीयक को हस्तांतरित करेंगे।

23. रेस्पांडेन्ट लाभार्थियों को संदेय राशि का भुगतान इस रजिस्ट्री के *Suitors Account No.* 10064520760 *IFSC Code* : SBIN0005798 *(State Bank of India, Shivaji Nagar Branch, BHOPAL (MP)* बैंक खाते में RTGS के द्वारा इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर जमा करते हुए इसकी सूचना अपर पंजीयक को भी देगा। यह पुनः आदेशित किया जाता है कि रजिस्ट्री *Suitors Account* बैंक अर्थात भारतीय स्टेट बैंक शिवाजी नगर शाखा, भोपाल को कहेगा कि बैंक सावधि जमा खाते से पैसा निकालने की अनुमति तब तक नहीं देगा, जब तक कि उसे इस पीठ से लिखित में आदेश न दिया जाए। पीठ द्वारा पारित इस आदेश की कॉपी आवेदक/लाभार्थी अपनी बैंक शाखा को प्रस्तुत करेंगे ताकि बैंक पीठ द्वारा खाते से सम्बन्धित शर्तों की पूर्तता करते हुए इसका पृष्ठांकन आवेदक/लाभार्थी की पासबुक में करेगा। उक्त पृष्ठांकन के साथ अपनी पासबुक एवं आधारकार्ड, पैनकार्ड अथवा पहचान का उचित दस्तावेज आवेदक/लाभार्थी सीधे रेस्पांडेन्ट को प्रस्तुत करेंगे।

24. दावा राशि के भुगतान के पूर्व रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं इस बात पर संतुष्ट होगा कि आवेदक/लाभार्थी द्वारा जो बचत खातों की जानकारी दी गई है, वे उसके निवासस्थान के नजदीक स्थित है एवं उक्त खाते में चैकबुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग आदि की सुविधा बंद की जा चुकी है एवं पीठ के अनुमति के बिना ये सुविधाएँ शुरू नहीं की जाएगी।

25. लाभार्थी/आवेदक को संदेय दावा राशि की सुरक्षा हेतु बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तुत किया गया खाता संयुक्त न होकर एकल ही होगा (नैसर्गिक संरक्षक के द्वारा संचालित किये जा रहे अवयस्क खातों को छोड़कर)। बैंक आवेदक/लाभार्थियों की फिक्स्ड डिपाजिट रसीदों को अपने ही पास सेफ कस्टडी में रखेगा, जिसका स्टेटमेंट (अर्थात् एफडीआर नंबर, राशि, परिपक्वता की तारीख एवं परिपक्वता की राशि) वह लाभार्थी को अवश्य उपलब्ध कराएगा।

26. उक्त एफडीआर की परिपक्वता पर ब्याज सहित परिपक्वता राशि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात ECS के द्वारा लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाएगा।

27. इस पीठ के आदेशों के बिना एफडीआर पर न तो लोन दिया जाएगा एवं न ही इस पर अग्रिम स्वीकार किया जाएगा। इस एफडीआर को परिपक्वता से पूर्व भी भुनाया नहीं जा सकेगा। पीठ के दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की प्रति स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नोडल अधिकारी/शाखा प्रबंधक को भी भेजी जाएगी।

28. इस आदेश के 90 दिनों के भीतर रजिस्ट्री अनुपालन रिपोर्ट पेश करेगी।

Sd/-

क्र.____8/म

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

रेल दावा अधिकरण
प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
भोपाल पीठ, भोपाल

29. माननीय सुप्रीमकोर्ट द्वारा प्रकरण *M.R.Krishnamurthy vs. New India Assurance Company Ltd. in CA 2476/2677 of 2019; decided on 5th March, 2019* के पैरा–40 में सभी दावा अधिकरणों को दिल्ली हाईकोर्ट के राजेश त्यागी वि० जय बीर सिंह प्रकरण में जमा योजना से सम्बन्धित दिशा–निर्देशों का पालन करने हेतु कहा गया है

30. तदनुसार इस मूल दावा आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

31. पक्ष अपना–अपना वादव्यय वहन करेंगे

32. इस आदेश की प्रति पक्षों को नियमानुसार प्रदान की जाएगी

33. प्रकरण–फाइल रेकार्ड रूम को प्रेषित की जाए

Sd/-

(आलोक कुमार शुक्ल)
सदस्य (तकनीकी)
रेल दावा अधिकरण, भोपालपीठ

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 28th **November, 2023** को उद्घोषित होकर हस्ताक्षरित किया गया.

(आलोक कुमार शुक्ल)
सदस्य (तकनीकी)
रेल दावा अधिकरण, भोपालपीठ

रेल दावा अधिकरण
प्रमाणित
सत्य प्रतिलिपि
भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल